न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 977 सन 2020

अनवान :—

1. रामचन्द्र पुत्र हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. केसराराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. गोविन्दराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. देवाराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. बंशीधर पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. विमलादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. मनीष पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. किस्तुरी पुत्री हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. चन्द्रावती पुत्री हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. हरदत पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. शिवभगवान पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
12. विष्णु पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 24/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 323/312 की कुल 16.3520हैक्ट भूमि हरिराम पुत्र लादुराम के नाम एवं खाता संख्या 321/310 की कुल 30.4270 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी की दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र हरीराम के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हरिराम पुत्र लालुराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के उनके उसके पुत्र/पुत्रीया एवं उनके पुत्र /पुत्रीया है हरिराम का एक पुत्र ओमप्रकाश का भी देहान्त हो चुका है इसलिये वर्तमान में हरिराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 हकदार है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं मृतक हरिराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ,7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमिं वादी के दादी गंगादेवी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्नी लालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी की दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम एवं उसके पुत्र हरीराम देहान्त एवं उसके पुत्र ओमप्रकाश का देहान्त होने पर उसके पुत्र/पुत्रीया एवं उनके पुत्र /पुत्रीया है हरिराम का एक पुत्र ओमप्रकाश के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,7 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होन अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 323/312 की कुल 16.3520हैक भूमि हरिराम पुत्र लादुराम के नाम एवं खाता संख्या 321/310 की कुल 30.4270 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी की दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र हरीराम के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हरिराम पुत्र लालुराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के उनके उसके पुत्र/पुत्रीया एवं उनके पुत्र /पुत्रीया है हरिराम का एक पुत्र ओमप्रकाश का भी देहान्त हो चुका है इसलिये वर्तमान में हरिराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 हकदार है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं मृतक हरिराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ,7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 323/312 की कुल 16.3520हैक भूमि हरिराम पुत्र लादुराम के नाम एवं खाता संख्या 321/310 की कुल 30.4270 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी की दादी गंगादेवी पत्नी लालुराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र हरीराम के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हरिराम पुत्र लालुराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के उनके उसके पुत्र/पुत्रीया एवं उनके पुत्र /पुत्रीया है हरिराम का एक पुत्र ओमप्रकाश का भी देहान्त हो चुका है इसलिये वर्तमान में हरिराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 हकदार है व अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,7 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 6 ,10 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,7 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 323/312 की कुल 16.3520हैक भूमि हरिराम पुत्र लादुराम के नाम एवं खाता संख्या 321/310 की कुल 30.4270 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में हरिराम का नाम कलमजन किया जाकर बटवारा अनुसार

रामचन्द्र , शिवभगवान, विष्णु पुत्र जगदीश प्रसाद के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 101/5 की 4.693हैक , खसरा न0 286/2/6 की 0.0250हैक खसरा न0 300/6 की 0.480हैक खसरा न0 434/2/4 की 1.404हैक कुल 6.602हैक भूमि रहेगी।

बंशीधर पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 78/2/2 की 0.430हैक खसरा न0 241/2/3 की 1.467हैक खसरा न0 242/2 की 0.379हैक खसरा न0 100/1 की 0.202हैक खसरा न0 101/2 की 1.442हैक खसरा न0 434/2/3 की 1.417हैक खसरा न0 300/5 की 0.480हैक खसरा न0 286/2/5 की कुल 0.0250हैक खसरा न0 407/2 की 0.759हैक कुल 6.601हैक भूमि रहेगी।

गोविन्द पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 100/2 की 0.202हैक खसरा न0. 101/2 की 1.391हैक खसरा न0 434/2/7 की कुल 1.416हैक खसरा न0 241/2/4 की 1. 492हैक खसरा न0 78/2/3 की 0.429हैक खसरा न0 242/3 कली 0.380हैक खसरा न0. 286/2/1 की 0.0250हैक खसरा न0 300/1 की 0.507हैक खसरा न0 407/1 की 0.759हैक कुल 6.601हैक भूमि रहेगी।

केसराराम पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 78/2/1 की कुल 2.277हैक खसरा न0 100/3 की 0.165हैक खसरा न0 101/3 की 1.263 हैक खसरा न0 434/2/6 की 1. 441हैक खसरा न0 300/2 की 0.481हैक खसरा न0 288/2/2 की 0.0250हैक खसरा न0 407/1 की 0.924हैक कुल 6.576हैक भूमि रहेगी।

देवाराम पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 100/4 की 0.190हैक खसरा न0 101/4 की 1.328हैक , खसरा न0 241/2/1 की 2.947हैक खसरा न0 434/2/5 की 1.416हैक खसरा न0 300/3 की 0.481हैक खसरा न0 286/2/3 की 0.0250हैक खसरा न0 407/3 की 0. 758हैक भूमि रहेगी ।

हरदत पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरान0 241/2/2 की 1.518हैक खसरा न0 242/1 की 0.759 , खसरा न0 434/2/1 की 1.442हैक खसरा न0 286/2/7 की 0.065हैक खसरा न0 300/7 की 1.200हैक खसरा न0 407/5 की 2.276हैक कुल 7.260हैक भूमि रहेगी।

विमला पत्नी ओमप्रकाश , मनीष पुत्र ओमप्रकाश के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 241/2/5 की 3.452हैक खसरा न0 242/4 की 0.594हैक खसरा न0 434/2/2 की 1.442हैक खसरा न0 300/4 की 0.481हैक खसरा न0 286/2/4 की 0.0250हैक कुल 5.994हैक भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 केसराराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. गोविन्दराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. जगदीश प्रसाद पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. देवाराम पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. बंशीधर पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. विमलादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. मनीष पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. किस्तुरी पुत्री हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. चन्द्रावती पुत्री हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. हरदत पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. शिवभगवान पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
12. विष्णु पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2020 निर्णय दिनांक– 24/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रामचन्द्र , शिवभगवान, विष्णु पुत्र जगदीश प्रसाद के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 101/5 की 4.693हैक , खसरा न0 286/2/6 की 0.0250हैक खसरा न0 300/6 की 0.480हैक खसरा न0 434/2/4 की 1.404हैक कुल 6.602हैक भूमि रहेगी।

बंशीधर पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 78/2/2 की 0.430हैक खसरा न0 241/2/3 की 1.467हैक खसरा न0 242/2 की 0.379हैक खसरा न0 100/1 की 0. 202हैक खसरा न0 101/2 की 1.442हैक खसरा न0 434/2/3 की 1.417हैक खसरा न0 300/5 की 0.480हैक खसरा न0 286/2/5 की कुल 0.0250हैक खसरा न0 407/2 की 0. 759हैक कुल 6.601हैक भूमि रहेगी।

गोविन्द पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 100/2 की 0.202हैक खसरा न0. 101/2 की 1.391हैक खसरा न0 434/2/7 की कुल 1.416हैक खसरा न0 241/2/4 की 1.492हैक खसरा न0 78/2/3 की 0.429हैक खसरा न0 242/3 कली 0.380हैक खसरा न0. 286/2/1 की 0.0250हैक खसरा न0 300/1 की 0.507हैक खसरा न0 407/1 की 0.759हैक कुल 6.601हैक भूमि रहेगी।

केसराराम पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 78/2/1 की कुल 2. 277हैक खसरा न0 100/3 की 0.165हैक खसरा न0 101/3 की 1.263 हैक खसरा न0 434/2/6 की 1.441हैक खसरा न0 300/2 की 0.481हैक खसरा न0 286/2/2 की 0. 0250हैक खसरा न0 407/1 की 0.924हैक कुल 6.576हैक भूमि रहेगी।

देवाराम पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 100/4 की 0.190हैक खसरा न0 101/4 की 1.328हैक , खसरा न0 241/2/1 की 2.947हैक खसरा न0 434/2/5 की 1.416हैक खसरा न0 300/3 की 0.481हैक खसरा न0 286/2/3 की 0.0250हैक खसरा न0 407/3 की 0.758हैक भूमि रहेगी ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हरदत पुत्र हरिराम के पास रोही मौजा देवासर के खसरान0 241/2/2 की 1.518हैक खसरा न0 242/1 की 0.759 , खसरा न0 434/2/1 की 1.442हैक खसरा न0 286/2/7 की 0.065हैक खसरा न0 300/7 की 1.200हैक खसरा न0 407/5 की 2.276हैक कुल 7.260हैक भूमि रहेगी।

विमला पत्नी ओमप्रकाश , मनीष पुत्र ओमप्रकाश के पास रोही मौजा देवासर के खसरा न0 241/2/5 की 3.452हैक खसरा न0 242/4 की 0.594हैक खसरा न0 434/2/2 की 1.442हैक खसरा न0 300/4 की 0.481हैक खसरा न0 286/2/4 की 0.0250हैक कुल 5.994हैक भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते